प्रेस नोट 08/08/2019

दिनांक 05.08.2019 को थाना मधुबन क्षेत्रान्र्तगत हुयी चोरी का हुआ अनावरण, चोरी के इलेक्ट्रानिक सामान व मोटरसाईकिल बरामद व संलिप्त 02 शातिर चोर गिरफ्तार–

जनपद मऊ पुलिस अधीक्षक **श्री अनुराग आर्य** के निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.08.19 को देखभाल क्षेत्र च चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चक मानव/दरगाह से सूरज कुमार पुत्र रमानंद, रवी कुमार पुत्र फौजदार निवासी हरदौली थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से चोरी की दो मोबाइलफोन, एलईडी टीवी, आरओ मशीन, म्यूजिक सिस्टम, एक इनर्वटर, दो बड़ी बैट्री व एक मोटरसाईकिल व 02 चाकू बरामद किया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 265/19 धारा 457,380 भादवि से संबन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि व मु0अ0सं0 367,368/19 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. सूरज कुमार पुत्र रमानंद निवासी हरदौली थाना दोहरीघाट मऊ।
2. रवी कुमार पुत्र फौजदार निवासी हरदौली थाना दोहरीघाट मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी की दो मोबाइलफोन।
2. एलईडी टीवी।
3. आरओ मशीन।
4. म्यूजिक सिस्टम।
5. एक इनर्वटर व दो बड़ी बैट्री।
6. एक मोटरसाईकिल (बिना नम्बर)।
7. 02 नाजायज चाकू।

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत एक असलहा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद–

मऊ। थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 07.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ताजपुर मोड़ से दीपक सोनकर पुत्र दीपेश्वरी सोनकर निवासी कस्बा खास घोसी थाना घोसी मऊ के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 312/19 धारा 3/25 आयुध्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. दीपक सोनकर पुत्र दीपेश्वरी सोनकर थाना घोसी मऊ।

बरामदगी–

1. एक नाजायज तमंचा व जिन्दा कारतूस 12 बोर।

MEDIA CELL MAU

<u>शांति भंग की आशंका में 19 व्यक्ति व एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 08.08.19 को थाना **कोपागंज पुलिस** द्वारा अमित, दीपक निवासीगण चकशेखवानी थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली पुलिस** द्वारा अमित निवासी हनुमान नगर भिटी, आशीष, संजय निवासीगण अन्धामोड़ भिटी, मुख्तार अहमद निवासी अलीनगर थाना कोतवाली, थाना **दक्षिणटोला पुलिस** द्वारा रामअशीष निवासी कोल्हाण थाना दक्षिणटोला, थाना **सरायलखन्सी पुलिस** द्वारा सुशील, मुरलीधर निवासीगण कांझा खुर्द, श्रीनिवास, छविला, परशुराम निवासीगण चकबभनी भार, थाना मधुबन पुलिस द्वारा अमरेश, प्रदुम्मन निवासीगण तिघरा, रामनक्षत्र, सुग्गन, रामनगीना निवासी दरियाबाद, रामचन्द्र निवासी सिसवां बलुवां, सुनील निवासी उसरी थाना मधुबन मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत व थाना **रानीपुर पुलिस** द्वारा अशोक चौहान पुत्र सोहित चौहान निवासी इटौरा थाना रानीपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आगामी अन्तिम श्रावण सोमवार व बकरीद त्यौहार के परिपेक्ष्य में आज दिनांक 08.08.2019 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा उक्त त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये गये हैं–

1. शिवमंदिर एवं कांवण मार्ग पर पड़ने वाले ईदगाह/मस्जिद का भ्रमण कर कम से कम 10 लोगों की समिति बनाकर त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु गोष्ठी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. यूपी 100 पर प्राप्त सांम्प्रदायिक झगड़ों की सूचना में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही हेतु करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. थानाध्यक्ष अपने थाना क्षेत्रों में साम्प्रदायिक गुण्डों, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध समुचित निरोधात्मक कार्यवाही करें।

4. पिछले 10 वर्षों में त्यौहार के दौरान घटित घटनाओं के सम्बन्ध में त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन कर घटना में संलिप्त व्यक्तियों/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. बकरीद त्यौहार के मौके पर सड़क पर नमाज अदा किये जाने वाले स्थलों को चिन्हित कर वहां के मौलवियों से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. त्यौहार के दौरान सुअर पालकों से संपर्क स्थापित कर उनको खुला न घूमने व बाड़े में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

7. त्यौहार को सकुशल सम्पन्न करानें में शांति एवं व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 107/16 सीआरपीसी की कार्यवाही कर पाबंद कराने हेतु निर्देशित किया गया।

MEDIA CELL MAU